भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1466
दिनांक 28.07.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में चिकित्सा शिक्षा

1466. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री संजय जाधवः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य से विदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की देश और राज्य-वार संख्या कितनी है और उनके अध्ययन की अवधि कितनी-कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा विदेशों में अध्ययनरत छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का युद्ध और संघर्षग्रस्त देशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का स्थानांतरण करने या उन्हें भारतीय चिकित्सा संस्थानों में लैटरल प्रवेश प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोविड काल के दौरान प्रभावित हुए और घर लौटे छात्रों का ब्यौरा क्या है और उनकी सहायता किस प्रकार की गई?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) आप्रवासन ब्यूरो उन भारतीय नागरिकों के आंकड़े रखता है, जिन्होंने विदेश जाने के अपने प्रयोजन में अध्ययन/शिक्षा का उल्लेख किया होता है । आप्रवासन ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	भारतीयों की संख्या
2018	518015
2019	586337
2020	259655
2021	444553
2022	750365

तथापि, मेडिकल पाठ्यक्रमों सहित विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत भारतीय छात्रों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विदेशों में मौजूद भारतीयों, जिसमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं, की सुरक्षा और सलामती भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे मिशन और केंद्र सतर्क रहते हैं और विदेशों में भारतीयों की देखभाल के लिए बारीकी से नजर रखते हैं। यदि ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो हमारे मिशनों/केंद्रों द्वारा इसे तुरंत मेजबान देश के संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाता है ताकि ऐसे मामलों में उचित जांच और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय मिशन/ केंद्र भारतीय छात्रों सहित भारतीय समुदाय के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं और भारतीय समुदाय की सुरक्षा के उपायों के बारे में उनसे चर्चा करते हैं।

(ग) से (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने एक योजना तैयार की है जिसके तहत ऐसे भारतीय छात्र जो अपने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे, और जिन्हें अपने विदेश स्थित चिकित्सा संस्थान को छोडना पड़ा (कोविड-19, रूस-यूक्रेन संघर्ष आदि के कारण) और 30 जून, 2022 को या उससे पहले उन्हें संबंधित संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम/डिग्री पूरा करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उन्हें विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजी) में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। इसके बाद, एफएमजी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ऐसे विदेशी चिकित्सा स्नातकों को, जिन्होंने विदेशी संस्थान में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के दौरान वास्तविक रुप से चिकित्सा प्रशिक्षण नहीं लिया था, को भारतीय परिवेश में चिकित्सा पद्धति से परिचित कराने के लिए क्लीनिकल प्रशिक्षण के लिए दो साल की अवधि के लिए अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (सीआरएमआई) से गुजरना होगा। विदेशी मेडिकल स्नातकों को दो साल की सीआरएमआई पूरी करने के बाद ही पंजीकरण मिलता है।

मंत्रालय, विदेशी विश्वविद्यालयों में पंजीकृत भारतीय छात्रों की संबंधित देशों की यात्रा को संभव बनाने के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने के लिए महामारी अवधि के बाद से प्रयास कर रहा था। विदेश में हमारे मिशनों और मंत्रालय ने सक्रिय रूप से इन मुद्दों को संबंधित सरकारों के साथ उठाया और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में यात्रा प्रतिबंधों का समाधान किया।

*****